



①

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म.प्र.

द्वितीय राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :- /2013 R - 3200-III/13

1- दरउआ पुत्र हज्जू चढार निवासी

ग्राम रानीपुरा तहसील व जिला

टीकमगढ़ म.प्र.

2- रामदयाल पुत्र स्व. सरियां चढार

निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील व

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

3- मोतीलाल पुत्र स्व. सरियां चढार

निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील व

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

-- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

गनपत चढार पुत्र प्यारेलाल चढार

निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील व

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

-- अनावेदक

द्वितीय राजस्व पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

विरुद्ध अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. प्रथम राजस्व

पुनरीक्षण क्रमांक 116/ निगरानी/ 2010-11 दिनांक 11-06-2013

से व्यथित होकर

महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की सादर निम्न प्रार्थना है :-

- 1- यह कि, पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय नियम न्याय एवं विधि सिद्धांतों के भारी विपरीत है एवं निरस्ती योग्य है।

(H)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3200-तीन/13

जिला -टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-३.२०१६	<p>आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">संक्षेप</p>	